26/7/2021 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी वकील को बार बार आवाज लगवाई गई आज भी उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली में बटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। दावा मुताबिक बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:17:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

1. कन्हैयालाल पुत्र रामवक्स जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली हाल सवाई माधौपुर
2 रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली
3 प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी नवलगढ जिला झुन्झुनु
4 अंगुरी पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी गंगापुरसिंटी
5 सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली हाल निवासी कोटा जिला कोटा
6 लक्ष्मी पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी नई दिल्ली
7 धर्मेन्द्र पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर
8 गीता पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी जोधपुर
9 कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी सवाई माधौपुर :— वादीगण

बनाम

1 परसादी पुत्र हरदेव जाति माली निवासी मेला गेट करौली (फौत)
1/1 मु. केसर वेवा परसादी
1/2 कैलास पुत्र परसादी
1/3 नांदू पुत्र परसादी
1/4 सीताराम पुत्र परसादी
1/5 रेखा पुत्री परसादी
1/6 माया पुत्री परसादी
} सभी जाति माली निवासी तीन दरवाजा करौली

2 प्रहलाद पुत्र नारायण
3 रामदुलारी पुत्री नारायण
4 घीसी वेवा नारायण
5 धारासिंह पुत्र मांगीलाल
6 ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल
7 पुष्पा पुत्री मांगीलाल
} सभी जाति माली निवासी मेला गेट चटीकना हाल निवासी तीन दरवाजा बाहर करौली

8 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील करौली :— प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 47/2017

निर्णय दिनांक 26.07.2021

वादी की ओर श्री रामजीलाल अग्रवाल वकील एडवोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नही है। इस वाद मे आज तारीख 26.07.2021 (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अंतिम [illegible] पेश होने पर आदेश किया जाता है दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत धारा [illegible] 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री किया जाता है [illegible] आराजी खसरा नं0 8466 रकवा 1 बीघा 06 विस्वा, खसरा नं0 8467 रकवा 03 विस्वा, 8468 रकवा 01 [illegible], 8470 रकवा 17 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 02 बीघा 07 विस्वा वाके ग्राम करौली तहसील व जिला करौली मे वादीगण कन्हैयालाल पुत्र रामवक्स, रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली, प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी नवलगढ जिला झुन्झुनु, अंगुरी पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी गंगापुरसिंटी, सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली हाल निवासी कोटा जिला कोटा, लक्ष्मी पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी नई दिल्ली, धर्मेन्द्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:17:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर, गीता पुत्री लोकमनी जाति माली हाल जोधपुर, कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी सवाई माधोपुर को एवं ख 8466/2 रकवा 1 बीघा, 8469 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 07 बिस्वा ग्राम करौली तहसील व जिला करौली का प्रतिवादीगण परसादी पुत्र हरदे माली निवासी मेला गेट करौली (फौत), मु. केसर बेवा परसादी, कैलाश पुत्र परसाद पुत्र परसादी, सीताराम पुत्र परसादी, रेखा पुत्री परसादी, माया पुत्री परसादी निवासी दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली, प्रहलाद पुत्र नारायण, रामदुलारी पुत्री घीसी बेवा नारायण, धारासिंह पुत्र मांगीलाल, ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल, पुष्पा पुत्री मांगीलाल जाति माली निवासी सभी मेला गेट चटीकना हाल निवासी तीन दरवाजा बाहर तहसील व जिला करौली में अलग अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं आराजी खसरा नं0 8467 रकवा 03 विस्वा का हाल पटवार मण्डल में उपलब्ध नक्शा तरमीम नही है जिसे साबिक नक्शा शीट के मुताबिक तरमीम होगी तथा बटवारा प्रस्ताव नक्शा ट्रेस निर्णय का एक पार्ट रहेगा इसी के अनुसार पटवार मण्डल में उपलब्ध लटठा तरमीम होगी। वादी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराने का अधिकारी है। पक्ष अपना-अपना खर्चा वहन करेगे।

यह डिक्री आज तारीख 26.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की लगाकर दी।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली

वादे के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
2 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
3 आदेशिका की तामिल		
जोड		जोड

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:17:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह, परमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 47/2017 आर सी एम सए नं0 2017/00182 तारीख रजू 09.11.2017

कन्हैयालाल पुत्र रामबक्स जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली हाल सवाई माधोपुर

रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली

प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी नवलगढ जिला झुन्झुनु

अंगुरी पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी गंगापुरसिटी

सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली हाल निवासी कोटा जिला कोटा

लक्ष्मी पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी नई दिल्ली

धर्मेन्द्र पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर

गीता पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी जोधपुर

कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी सवाई माधोपुर :– वादीगण

बनाम

1 परसादी पुत्र हरदेव जाति माली निवासी मेला गेट करौली (फौत)

1/1 मु. केसर वेवा परसादी
1/2 कैलास पुत्र परसादी
1/3 नांदू पुत्र परसादी
1/4 सीताराम पुत्र परसादी
1/5 रेखा पुत्री परसादी
1/6 माया पुत्री परसादी

} सभी जाति माली निवासी तीन दरवाजा करौली

2 प्रहलाद पुत्र नारायण
3 रामदुलारी पुत्री नारायण
4 धीसी वेवा नारायण
5 धारासिंह पुत्र मांगीलाल
6 ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल
7 पुष्पा पुत्री मांगीलाल

} सभी जाति माली निवासी मेला गेट बटीकना हाल निवासी तीन दरवाजा बाहर करौली

8 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील करौली :– प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा जैर दफा 88 एवं बटवारा दफा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री रामजीलाल अग्रवाल वकील वादीगण

निर्णय

[illegible]नांक :–26.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:17:05 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय [illegible] दिनांक 09.1[illegible] को पेश किया गया था जिसे न्यायालय ने दिनांक 21.06.2021 को [illegible] अनुसार दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर [illegible] का बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजी की विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करने हेतु प्रथक से तहरीर जारी की गयी।

तहसीलदार करौली ने विवादित आराजी का विभाजन स्कीम मौके पर पटवारी एवं भू अभिलेख वृत करौली तैयार कर न्यायालय में पत्र क्रमांक/एल.आर./2021/2131 दिनांक 20.07.

Scanned with CamScanner

2021 को पेश की गयी है। जिसमें वकील वादी उपस्थित है प्रतिवादी को वार बार आवाज दिलाने पर भी प्रतिवादी व प्रतिवादी वकील उपस्थित नही आये।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

उभयपक्ष अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार करौली ने मौके पर तैयार की गयी विभाजन स्कीम को सही होना बताकर अपनी सहमति दी गयी कि बटवारा प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एंव तहसीलदार करौली द्वारा मौके पर पक्षकारान की मौजुदगी में किया गया विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया कि वादी ने दावा धारा 53,88 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया था जिसें न्यायालय हाजा ने दिनांक 21.06.2021 को दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार करौली को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा जिसमें उभयपक्ष अभिभाषक नें तहसीलदार करौली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को सही होना बताकर अपनी सहमति दी गई। न्यायालय से पारित प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार करौली द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम सही है तथा हाल एवं साबिक नक्शा शीट में खसरा नं0 8467 रकवा 3 विस्वा जो मुताबिक जमाबंदी में दर्ज है किन्तु पटवार मण्डल पर उपलब्ध लठठा शीट में तरमीम अकित नही है जबकि नकल साबिक जो तहसील से प्राप्त की गई है उसमें इस आराजी पर तरमीम हो रही हैं जिसे भी पटवार मण्डल पर उपलब्ध है नक्शा शीट में तरमीम किया जाना उचित है। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री किया जाता है तथा आराजी खसरा नं0 8466/1 रकवा 1 बीघा 06 विस्वा, खसरा नं0 8467 रकवा 03 विस्वा, 8468 रकवा 01 विस्वा, 8470 रकवा 17 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 02 बीघा 07 विस्वा वाके ग्रामं करौली तहसील व जिला करौली मे वादीगण कन्हैयालाल पुत्र रामवक्स, रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मौहल्ला करौली, प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी नवलगढ जिला झुन्झुनु, अंगुरी पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी गंगापुरसिंटी, सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली हाल निवासी कोटा जिला कोटा, लक्ष्मी पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी नई दिल्ली, धर्मेन्द्र पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर, गीता पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी जोधपुर, कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली हाल निवासी सवाई माधौपुर को एवं खसरा नं0 8466/2 रकवा 1 बीघा, 8469 रकवा 01 बीघा 07 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 02 बीघा 07 विस्वा ग्राम करौली तहसील व जिला करौली का प्रतिवादीगण परसादी पुत्र हरदेव जाति माली निवासी मेला गेट करौली (फौत), मु. केसर वेवा परसादी, कैलाश पुत्र परसादी, नांदू पुत्र परसादी, सीताराम पुत्र परसादी, रेखा पुत्री परसादी, माया पुत्री परसादी निवासी सभी तीन दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली, प्रहलाद पुत्र नारायण, रामदुलारी पुत्री नारायण, घीसी वेवा नारायण, धारासिंह पुत्र मांगीलाल, ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल, पुष्पा पुत्री मांगीलाल सभी जाति माली निवासी सभी मेला गेट चटीकना हाल निवासी तीन दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली में अलग अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते है, तथा आराजी खसरा नं0 8467 रकवा 03 विस्वा [illegible] उपलब्ध नक्शा शीट में तरमीम नही है जिसे साबिक नक्शा शीट के मुताबिक तर[illegible] हो[illegible] तथा बटवारा प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस निर्णय का एक पार्ट रहेगा इसी के अनुसार पटवार [illegible] में उपलब्ध लटठा सीट में तरमीम होगी। वादी उपरोक्तानुसार राजस्व [illegible] अधिकारी है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करेगे। पर्चा डिक्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:17:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with CamScanner